संख्या-10/2015/942एस0सी0/18-2-2015-67/12

प्रेषक,

राकेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2015

विषय- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा की सुविधा के लिए दी गई शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क माफ किए जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 एवं उनकी 21 इकाईयॉ अर्थात कुल 22 इकाईयों को पेराई सत्र 2011-12 के लिए रू0 1162.47 करोड़ तथा पेराई सत्र 2012-13 के लिए सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की 21 इकाईयों को कुल रू0 1357.86 करोड़ की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी दी गई थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल पेराई सत्र 2011-12 तथा पेराई सत्र 2012-13 के लिए स्वीकृत उपर्युक्त शासकीय प्रत्याभूतियों पर देय गारण्टी शुल्क को एतद्द्वारा माफ किए जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-119-बी-4-164/दस-2015 दिनांक 11 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2015/942(1)एस0सी0/18-2-15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक, 2-महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।

2- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

4- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।